भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4348

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

पॉक्सो अधिनियम में सुधार

4348. श्री गुरमीत सिंह मीतः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय जांच में देरी, साक्ष्य संरक्षण में चूक और अपर्याप्त संसाधनों सहित कई मुद्दों का सामना कर रहा है और यदि हां, तो कानून प्रवर्तन हेतु पर्याप्त धन तथा प्रशिक्षण प्रदान करने और पॉक्सो मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना सहित इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयु निर्धारण और साक्ष्य संग्रहण संबंधी अधिनियम के उपबंधों ने मुकदमों में, विशेषकर हाल में हुई संभोग क्रिया को सिद्ध करने की चुनौती जैसे मामलों में जटिलताओं को जन्म दिया है और यदि हां, तो इन चुनौतियों का समाधान करने और पॉक्सो के अंतर्गत दोषसिद्धि दर में सुधार करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय और जन जागरूकता कार्यक्रमों की योजनाएं हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार द्वारा अधिनियमित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है। यह एक लिंग-तटस्थ अधिनियम है और इसके तहत साक्ष्य का भार आरोपी पर होता है। यह अधिनियम मामलों में कार्रवाई करते समय बाल हितैषी पद्धतियां अपनाने का अधिदेश देता है जिसमें जांच और अभियोजन के लिए निश्चित समयसीमा शामिल है। इसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कठोर दंड

निर्धारित किया गया है और शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इस अधिनियम के अनुसार, बच्चे का साक्ष्य विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के तीस दिनों की अवधि के भीतर दर्ज किया जाएगा और विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जहां तक संभव हो, सुनवाई पूरी करेगा। बच्चों पर यौन अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा देने के लिए 2019 में अधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि अपराधियों को डराया जा सके और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोका जा सके।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो नियमावली, 2020 अधिसूचित की है जिसमें अन्य बातों में स्कूलों और देखभाल गृहों में कर्मचारियों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन, बाल यौन शोषण सामग्री (पोर्नोग्राफी) की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, आयु-उपयुक्त बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करने आदि के प्रावधान शामिल हैं। पॉक्सो नियमावली, 2020 में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे वे नियमित हों या संविदा पर, को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी जिसमें अभिविन्यास कार्यक्रम, संवेदीकरण कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शामिल हैं, ताकि उन्हें बाल सुरक्षा और संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके और अधिनियम के तहत उनकी ज़िम्मेदारी के बारे में शिक्षित किया जा सके। पॉक्सो अधिनियम, 2012 और पॉक्सो नियमावली, 2020 के तहत अनिवार्य रूप से बच्चे को सहायता प्रदान की जानी है।

बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित मामलों की शीघ्र जांच और निपटान के लिए न्याय विभाग विशेष पॉक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.10.2024 तक 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 408 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यशील हैं, जिन्होंने 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। इस योजना की शुरुआत के बाद से, विशेष पॉक्सो न्यायालयों ने 1,83,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पॉक्सो मामलों सहित न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान केवल न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालती मामलों का लंबित होना एक बहुआयामी समस्या है। देश की जनसंख्या में वृद्धि और लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण, नए मामले दर्ज करने की संख्या भी साल-दर-साल तेजी से बढ़ रही है। मामले लंबित रहने में कई कारकों का योगदान हो सकता है जिनमें न्यायिक अधिकारियों और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की कमी, जटिल साक्ष्य और बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों जैसे हितधारकों के बीच अपर्याप्त

सहयोग के साथ ही नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। पॉक्सो मामलों सहित आपराधिक मामलों में आपराधिक न्याय प्रणाली पुलिस, अभियोजन पक्ष, फोरेंसिक लैब, हस्तलेख विशेषज्ञों और चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों जैसी विभिन्न एजेंसियों से पूर्ण समर्थन पर निर्भर करती है। इन संबद्ध एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने में देरी से मामले के निपटान में देरी हो सकती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, न्याय विभाग ने एफटीएससी की स्थापना सहित इस योजना का सशक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं।

इसके अलावा, सरकार ने समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, परामर्श, कार्यशालाओं और संबंधित हितधारकों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, पूरे देश में सिनेमा हॉलों में और दूरदर्शन पर एक लघु फिल्म का प्रसारण किया गया। इसके बाद, मंत्रालय ने एक छोटे वीडियो क्लिप, एक ऑडियो क्लिप और एक पोस्टर के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी तरीके से शामिल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जिसे पूरे भारत में विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया है। इन रचनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार और प्रभावी आउटरीच के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनका अनुवाद किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने बच्चों को सुरक्षा/शिकायत और आपातकालीन सहायता के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकों के कवर के पीछे चाइल्डलाइन 1098 जो बच्चों के लिए 24x7x365 टॉल फ्री हेल्पलाइन है, और पॉक्सो ई-बॉक्स प्रकाशित किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रीय सम्मेलन और संवेदीकरण/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं:

i. क्षेत्रीय सम्मेलन: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुपोषण संबंधी समस्याओं के समाधान और मिशन वात्सल्य योजना सहित महिलाओं और बच्चों के विकास, सशक्तीकरण और संरक्षण के लिए कार्यनीतिक हस्तक्षेप पर क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना।

ii. प्रसार कार्यशालाएं: किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और इसके तहत नियम तथा मिशन वात्सल्य योजना सहित दत्तकग्रहण विनियम, 2017 पर दिनांक 17.08.2022 और 29.08.2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, संबंधित मंत्रालयों/ विभागों, पुलिस प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), राष्ट्रीय बाल अधिकार

संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी)/किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों सहित बाल संरक्षण पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला।

iii. कार्यशालाएं: दिनांक 16.11.2022 और 14-15.09.2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) में मिशन वात्सल्य योजना सहित बाल अधिकार और संरक्षण पर पंचायती राज प्रतिनिधियों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पुलिस प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्यशालाएं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गईं। इस कार्यशाला में मंत्रालय, एनसीपीसीआर, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों (डीसीपीओ), सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेपीयू), यूनिसेफ के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

iv. वत्सल भारत: मिशन वात्सल्य सहित 'बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण' पर दिनांक 02.07.2023 से 18.08.2023 तक दिल्ली, भोपाल, मुंबई, रांची, गुवाहाटी और वाराणसी में क्षेत्रीय संगोष्ठियां आयोजित की गईं। क्षेत्रीय संगोष्ठियों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों, ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

v. मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.03.2023 से 24.03.2023 तक निपसिड में तीन दिवसीय परामर्श का आयोजन किया गया ताकि मिशन वात्सल्य पोर्टल को इसके उपयोगकर्ताओं/हितधारकों द्वारा आसानी से अपनाया जा सके।

vi. मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.11.2023 को पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के मॉड्यूल पर एक वर्चुअल तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2023 के दौरान पॉक्सो नियमों की धारा 3(6) के अंतर्गत कुल 65 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 3515 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, रेलवे, बैंकों और अन्य सार्वजनिक सेवा उपक्रमों (पीएसयू) के सरकारी अधिकारी, महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के संकाय, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

के पदाधिकारी (अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता), स्कूल शिक्षक और कर्मचारी, विश्वविद्यालय के संकाय, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बच्चे, मिशन वात्सल्य के पदाधिकारी (जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, आई/सी, संरक्षण अधिकारी एनआईसी, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता), विशेष किशोर पुलिस इकाइयां, बाल और बाल विकास इकाइयां और कार्मिक, पुलिस और न्यायपालिका जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियां, चिकित्सा पेशेवर, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य और विशेष दत्तकग्रहण एजेंसी के समन्वयक शामिल हैं।

****